



उत्तराखण्ड शासन

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946-220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



पत्रांक- 1163 / 12-1, हल्द्वानी दिनांक- 14/11/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय:- जनपद-नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी. 0.00 (देवलामल्ला) से किमी. 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे के निर्माण हेतु 1.53 है० (0.91 है० हेतु संशोधित) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/215/2016/एफ.सी./682, दिनांक-12.08.2022 एवं आपका पत्रांक-255/12-1 दिनांक-20.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग हेतु 0.91 है० हेतु संशोधित सूचनाएं चार प्रतियों में मय के.एम.एल. सी. डी. के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

(म)

जनपद—नैनीताल के अन्तर्गत
विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम
विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग
के किमी. 0.00 (देवलामल्ला)
से किमी. 2.00 तक मार्ग को
मोटर मार्ग में परिवर्तित करते
हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः
निर्माण एवं सूखी नदी पर
काजवे के निर्माण हेतु 1.53
है० (0.91 है० हेतु संशोधित)
वन भूमि का गैर वानिकी
कार्यों हेतु लोक निर्माण
विभाग को प्रत्यावर्तन

१८

प्रतिवेदन (औचित्य)

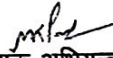
कार्य का नाम:—मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी० 0.00 (देवल मल्ला) से किमी० 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कौजवे का निर्माण (वास्तविक लम्बाई 1.300 किमी०)

उपरोक्त मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं० 5927/111 (2) हेतु 19.46 लाख की प्राप्ति है। जिसके अन्तर्गत मार्ग का सुधारीकरण कार्य किया गया जाना है। इस मार्ग के निर्माण से ग्राम विजयपुर एवं समस्त क्षेत्रीय जनता लाभान्वित होगी।

मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित था। प्रस्ताव पर एफ०आर०सी०एम० की बैठक दिनांक 27.01.2022 में चर्चानुसार मार्ग की लम्बाई 1.70 किमी० से कम कर 1.30 किमी० तथा चौड़ाई 7 मी० कर 0.91 हे० संशोधित कर प्रेषित करने के निर्देशों के क्रम में 0.91 हे० वन भूमि का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया। मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को कृषि कारोबार, चिकित्सा, स्कूल आदि में विशेष सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ पर्यटन व्यवसाय को बल मिलेगा। क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मोटर मार्ग निर्माण की नितान्त आवश्यकता है। जो व्यापक जनहित में होगा।

अतः 0.91 हे० का संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है।


अपर सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल


अधिसाक्षी अभियन्ता
प्रा०ख०, लो० नि० वि०
नैनीताल

परियोजना का विवरण :- 210 मृगमार्ग की होचला रोड 317/2015 के अन्तर्गत जंगल वनीकरण के विकास
उपखण्ड स्थानीय विभाग पत्रादेशों के अनुसार 0.00 हेक्टेयर में 1.2.0

1 क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों में वनीकरण करने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण एवं रखरखाव
परियोजना/स्वीकृत का संक्षिप्त विवरण तैयार

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

: संलग्न है,
: सं 19.45 लाख (प्रमाणपत्र)

ग) परियोजना की लागत
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

: प्रोएनएन निर्माण हेतु

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)

: N.A.

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है

: गोड मार्ग निर्माण से स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा एवं
कृषि क्षेत्रों में विशेष सुविधा प्राप्त होगी व 100 लोगों को
रोजगार प्राप्त होगा

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण

: आवश्यक वन भूमि - 0.91 हे.

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

: N.A.

क) परिवारों की संख्या

: N.A.

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

: N.A.

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए): नहीं।

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)

: हां

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

: N.A.

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

: संलग्न है

दिनांक 15/09/2022
स्थान

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(डॉ. डी.ए. गुप्ता)

अधिशाली अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0

नैनीताल

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

संपुक्त निरीक्षण आख्या

दिनांक 29/6/22 को आन्तीय मुख्य मेकी घोषणा सं० 317/2013 के अन्तर्गत नैनीताल के अर्न्तगत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विनपुर-पहाडानी चैल मार्ग 0.00 (देखभाला) से कि०मी० 2.00 तक मार्ग को गोर मार्ग में परिवर्तित करते हुए सुधारकरण पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे के निर्माण हेतु लगभग 1.30 तक का सुयुक्त निरीक्षण वन विभाग की ओर से श्री राजेश शर्मा वीर छात्राणी, श्री सुभाष कुमार अग्रवाल छात्राणी श्री हरि कृष्ण वन संरक्षक एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री वैद्य प्रकाश अग्रवाल सहायक अभियन्ता व सुखेन्द्र सिंह भूउपकरण ड्राफ्ट किया गया,

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि समाप्ति, आवक्यता, परिस्थिति व्यवस्था आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी दृष्टि से जो समरेखन की चौड़ाई 7 मीटर व लम्बाई 1300 मीटर की गम्भी उपयुक्त पाया गया, इसके अतिरिक्त मार्ग निर्माण हेतु स्थल अन्य कोई सिन्कप नहीं है, सैलीधित लम्बाई चौड़ाई में जो वृद्ध समाप्ति से नैनी नदी से पश्चिम की गम्भी है, चयनित स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क व अन्य जीव अभयारण्य का हिस्सा नहीं है, क्षेत्रीय जन्ता के प्रयोग के अनुरूप मार्ग निर्माण आवश्यक पाया गया, जिससे जन्ता को चिरित्वा, स्कूल वृत्ति म्येकर एवं सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त होगी,

प्रस्तावक विभाग

29/6/22
1. (सुखेन्द्र सिंह भूउपकरण ड्राफ्ट)

2. (श. वैद्य प्रकाश)
अग्रवाल सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल

प्रति स्वीकृति,
6/9/22
अध्यक्ष अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
नैनीताल

वन विभाग

1. (राजेश चन्द खत्री)
वन क्षेत्र अधिकारी

2. (हुकम राम)
वन दरोडा

3. (नवीन शर्मा)
वन क्षेत्र अधिकारी
छाता वन राजि
हल्द्वानी

8
प्रान्तीय वन अधिकारी
प्रान्तीय वन विभाग, हल्द्वानी

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति		मा० मुख्यमंत्री घोषणा 317/2013 के जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी. 0.00 (देवला मल्ला) से किमी. 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए कच्चे मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण (वास्तविक लम्बाई 1.3 किमी.)
(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		उत्तराखण्ड
(ii) जिला		नैनीताल
(iii) जिला वन प्रभाग		हल्द्वानी
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	जाने वाली प्रस्तावित	0.91 है०
17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:		आरक्षित वन
18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:		
(i) वन का प्रकार		आरक्षित
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व		0.00 से 0.10
(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना		संलग्न है।
(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा		—
19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी		भूवैज्ञानिक की आख्या संलग्न है।
20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :		शून्य
21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :		नहीं है।
(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :		लेपर्ड, सेई, भालू, हिरन इत्यादि।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अट्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने		संख्या-1777/1 (2) - व० ग्रा० वि०/2002-19 (9)/2002 भारत सरकार एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या-7-2-100 (पी०ई०) दिनांक-14.02.2002 के द्वारा हल्द्वानी वन प्रभाग

में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	हल्द्वानी का सम्पूर्ण क्षेत्र "शिवलिक ऐलीफेण्ट रिजर्व" के अन्तर्गत घोषित है।
(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं है।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे	नहीं है।
22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)	प्रमाण पत्र संलग्न।
23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।	—
24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	नहीं

(iii) क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)	नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	लागू नहीं
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	
(iii) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)।	
(v) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय :	
(vi) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।	
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।	हाँ
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें	स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

स्थान: हल्द्वानी

तारीख:


 (बाबू लाल)
 प्रशासीय व्यवधिकारी,
 हल्द्वानी वन विभाग, हल्द्वानी

प्रारूप-11

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाडपानी पैदल मार्ग के किमी0 0.000 (देवलमल्ला) से 2.000 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण /पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर कॉजर्वे का निर्माण (वास्तविक लम्बाई 1.70 किमी0)।

ऑनलाईन प्रस्ताव सं0 एफ0पी0/यू0के0/रोड/20099/2016

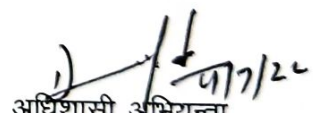
लैन्ड शैड्यूल (संशोधित आरक्षित वन भूमि) वन विभाग

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लॉक का नाम	परियोजना की संशोधित लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (है0)
नैनीताल	हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी		कालूसेरा कक्ष सं01 व रातीघाट कक्ष सं0 5	1300 मीटर	7.000 मीटर	0.91 है0


भू0 अ0 अमीन


अपर सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल


सहायक अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल


अधिशाली अभियन्ता
प्रा0ख0, लो0नि0वि0
नैनीताल

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी


ह0/सहायक वनाधिकारी
प्रभाषीय वनाधिकारी हल्द्वानी.

बार-चार्ट (संशोधित) (अक्षांश 1.300 km चौड़ाई 7मीटर संशोधित)

परिमोचना का नाम:- भा. मुख्य मंत्री घोषणा सं. 37/2013 के अनुसार नैनीताल के अर्न्तगत विकासखण्ड हल्द्वानी
को ग्राव बिजमपुर-पहाड़ानी पैथ ग्राव को किमी 0.00 (द्विगुण मिला) को किमी 2.00 तक
मोहर ग्राव में परिवर्तित करते हुए नये भा. का मुख्यालय। पुनः विगण एवं सूची नवी पर
काजवे को निर्माण हेतु 155000 (असंशोधित) इन ग्राव का गैर वास्तवी कार्य हेतु लोके विगण विभाग
की प्रभावर्ति 2 प्रमाण सं. सं. 10/15/2013/2019/2018

पैमला पसे = 1 किमी



भूखंड उमीन

अपर सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोपनिधि
नैनीताल

आवर्तित का भूख
प्रान्तीय खण्ड लोपनिधि
नैनीताल

प्रान्तीय प्रशासिकारी
हल्द्वानी वन विभाग, हल्द्वानी

वन प्रशासिकारी
हल्द्वानी वन विभाग
हल्द्वानी

डिजिटल मैप- जनपद नैनीताल में विजयपुर पहाड़पानी मोटर मार्ग का निर्माण ।



79°33'00"

79°34'00"

79°35'00"

79°36'00"

79°37'00"

29°14'00"

29°13'00"

29°12'00"

29°11'00"

29°10'00"

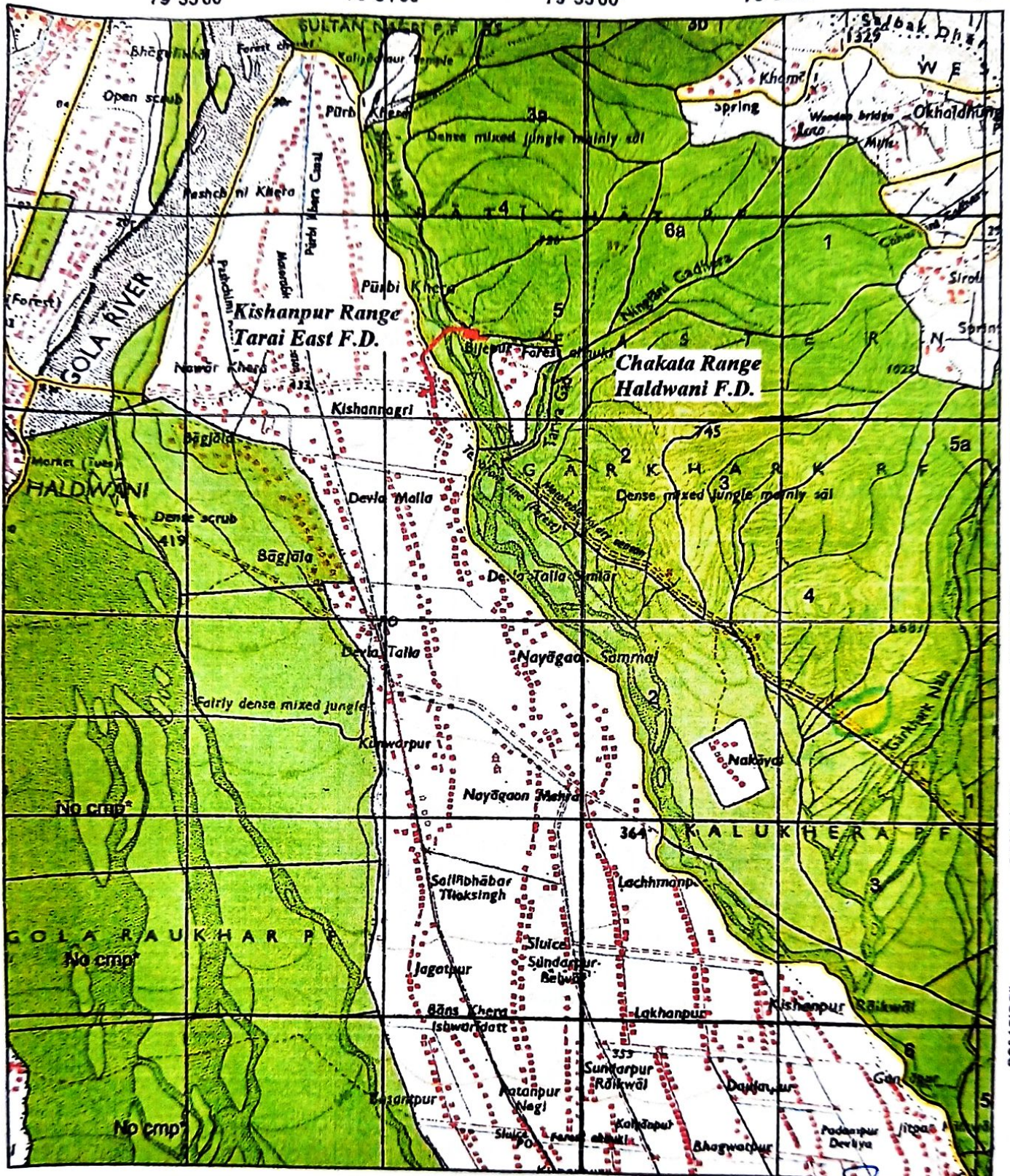
29°14'00"

29°13'00"

29°12'00"

29°11'00"

29°10'00"



79°33'00"

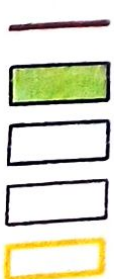
79°34'00"

79°35'00"

79°36'00"

79°37'00"

Legend



Proposed_Road

Reserve Forest Area

Reserve Forest Boundary

Range_Boundary

Division_Boundary



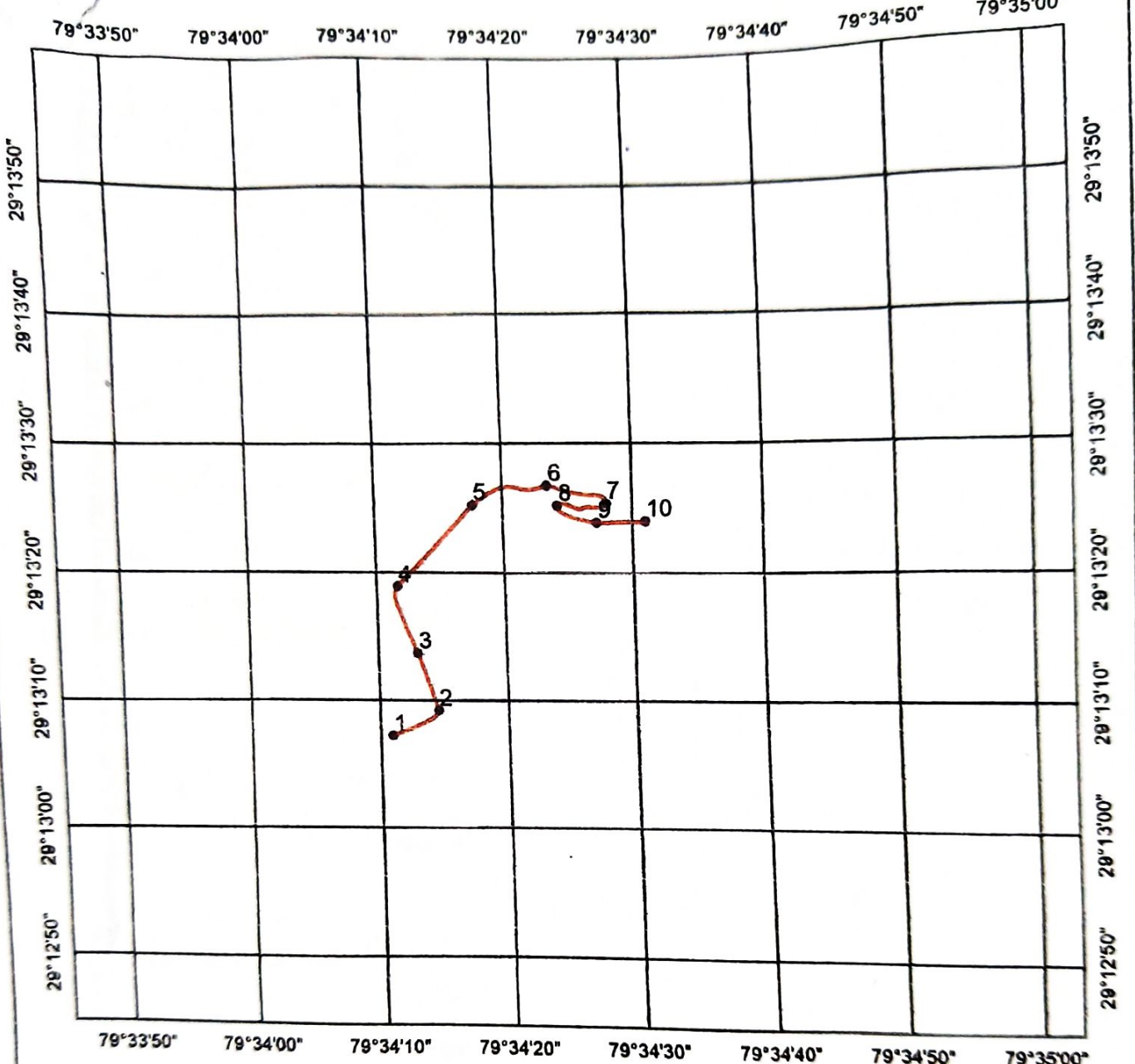
बनासोब बनाविकारी
हल्द्वानी वन विभाग, हल्द्वानी.

वन अधिकारी
छाता वन राजि
हल्द्वानी

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड.लोनिवि
नैनीताल

25/7/22
P.W.D. Nainital

जियो रैफरेन्स मैप- जनपद नैनीताल में विजयपुर पहाडपानी मोटर मार्ग का निर्माण ।



79°33'50" 79°34'00" 79°34'10" 79°34'20" 79°34'30" 79°34'40" 79°34'50" 79°35'00"

Legend

- GPS_points
- Proposed_Road



महायुक्त अभियन्ता
जनपद नैनीताल

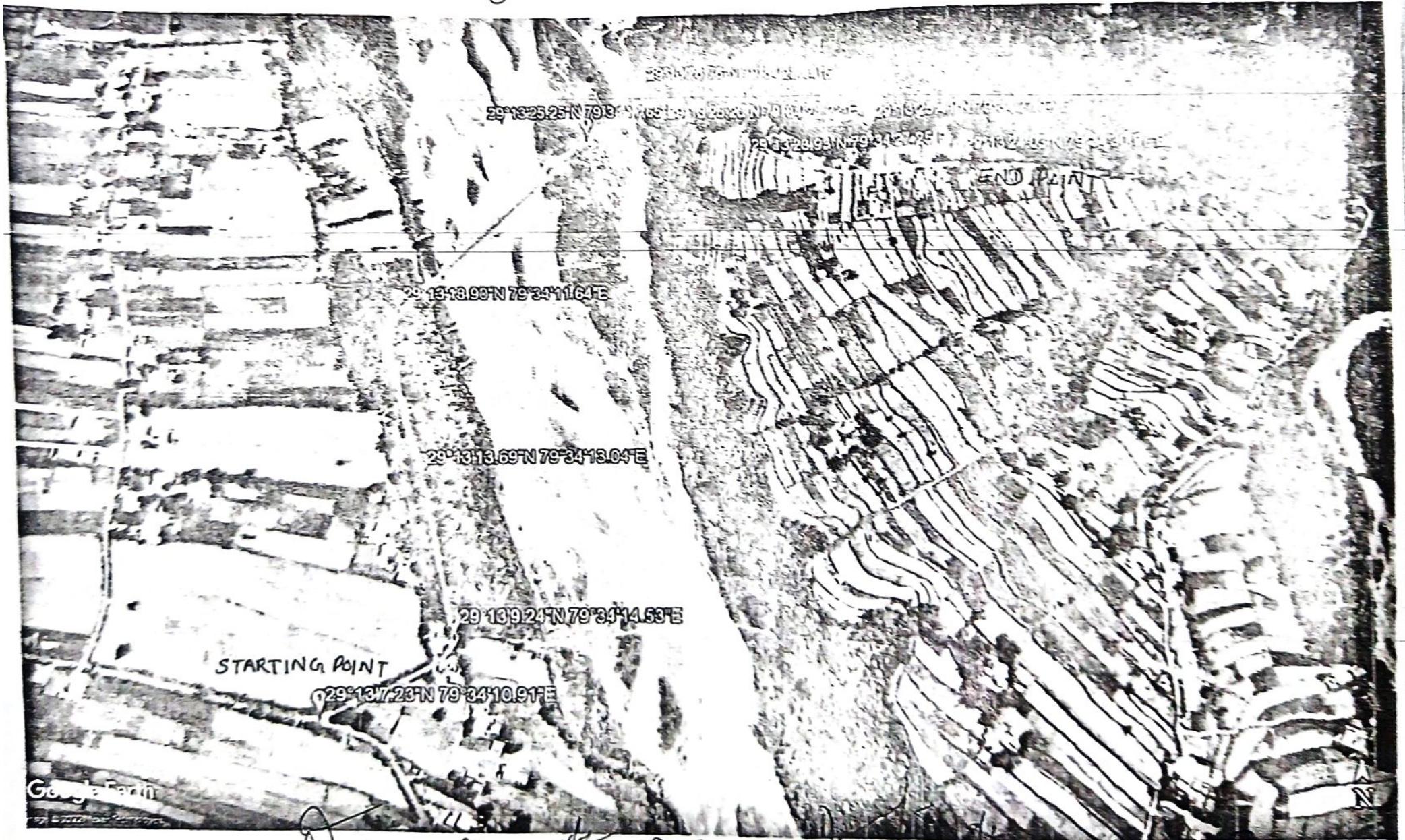
Executive Engineer
Provincial Division,
P.W.D., Nainital

प्रशासक वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	79°34'10.91"E	29°13'7.23"N	6	79°34'23.44"E	29°13'26.76"N
2	79°34'14.53"E	29°13'9.24"N	7	79°34'27.97"E	29°13'25.41"N
3	79°34'13.04"E	29°13'13.69"N	8	79°34'24.22"E	29°13'25.20"N
4	79°34'11.64"E	29°13'18.90"N	9	79°34'27.25"E	29°13'23.93"N
5	79°34'17.65"E	29°13'25.25"N	10	79°34'30.97"E	29°13'24.03"N

वन सहायक अधिकारी
छकाता वन राजि
हल्द्वानी

विजयपुर- फाडपानी नहर मार्ग ।



वन अधिकारी
उत्कला वन राजि
हल्द्वानी

ARF

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोणनिगवि
नैनीताल

Executive Engineer
Provincial Division,
P.W.D., Nainital

प्रमुख वन अधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रपत्र-42

परियोजना का नाम:- मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी. 0.00 (देवल मल्ला) से किमी. 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनः निर्माण एवं सूखी नदी पर काजवे का निर्माण। (वास्तवित ल०-1.30 किमी.)

एन० पी० वी० की धनराशि का आंकलन (संशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2011-एफ०सी० दिनांक-06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन० पी० वी० की देयता निम्नानुसार है :-

1. ईको-क्लास श्रेणी- III (open forest)
2. हरियाली का घनत्व- 0.00-0.10
3. एन० पी० वी० की प्रति है०- 9,57,780.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.91 है०
5. कुल देय एन. पी. वी. की धनराशी- 8,71,579

भवदीय,



(बाबू लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

परियोजना का नाम:-विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० सं० ०.०० (मल्ला देवला) से किमी० सं० २.०० तक मार्ग का सुधारीकरण, पुर्ननिर्माण व सूखी नदी पर कोंजवे का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि कालूखेड़ा कक्ष सं० १ में १.३० कि०मी० के अन्तर्गत ०.९१ है० वन भूमि का हस्तान्तरण

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वृक्षों का सारांश

क्र०सं०	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
		०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	९० से अधिक	
१	आरक्षित वन भूमि	६	—	—	४	३	२	३	—	—	१८
२	सिविल सोयम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
३	वन पंचायत	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	६			४	३	२	३			१८
४	नाप भूमि	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

प्रजापति वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

(सुनील शर्मा)
वन क्षेत्राधिकारी,
छक्राता राजि, ह०व०प्र०।

परियोजना का नाम:-विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० सं० ०.०० (मल्ला देवला) से किमी० सं० २.०० तक मार्ग का सुधारीकरण , पुर्ननिर्माण व सूखी नदी पर कौजवे का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि कालूखेड़ा कक्ष सं० १ में १:५० कि०मी० के अन्तर्गत ०.९१ है० वन भूमि का हस्तान्तरण

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

क.सं.	वन ब्लॉक/कम्पाटमेंट	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									कुल वृक्ष	आयतन	आयतन घ०मी०	रॉयटी दर	वृक्षों का मूल्य
				१०-२०	२०-३०	३०-४०	४०-५०	५०-६०	६०-७०	७०-८०	८०-९०	९० से ऊपर					
१	छकाता राजि	साल	<i>Shorea robusta</i>	-	-	-	-	१	-	-	-	-	१	२.४७८	२.४७८	५७५७०.००	१४२६५८.४६
				-	-	-	-	-	२	-	-	-	२	३.९२२	७.८४४	५७५७०.००	४५१५७९.०८
		बकैन	<i>Melia azedarach</i>	-	-	-	१	-	-	-	-	-	१	१.१०४	१.१०४	४९२६.००	५४३८.३०
				-	-	-	२	-	-	-	-	-	२	१.०६	२.१२	५१६.००	१०९३.९२
		गुलर	<i>Ficus recemosa</i>	-	-	-	-	२	-	-	-	-	२	१.७७	३.५४	५१६.००	१८२६.६४
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	२	३.७३२	७.४६४	५१६.००	३८५१.४२
				-	-	-	-	-	-	२	-	-	२	३.७३२	७.४६४	५१६.००	३८५१.४२
		हल्दू	<i>Adina cordifolia</i>	-	-	-	-	-	-	१	-	-	१	४.३६	४.३६	१७१५१.००	७४७७८.३६
		आम	<i>Mangifera Indica</i>	-	-	-	१	-	-	-	-	-	१	१.१०४	१.१०४	७०६०.००	७७९४.२४
		जामुन	<i>Syzygium cumini</i>	१	-	-	-	-	-	-	-	-	१	-	-	-	-
		कोकाट	-	५	-	-	-	-	-	-	-	-	५	-	-	-	-
				६	०	०	४	३	२	३	-	-	१८	-	-	-	६८९०२०.४३

प्रजातीय वनाधिकारी
हल्द्वारी वन प्रभाग, हल्द्वारी,

(मुनील शर्मा)
वन क्षेत्राधिकारी,
छकाता सखि, ४०४०२०।

परियोजना का नाम:-प्राक्कलन बावत् विधान सभा क्षेत्र लालकुआ के विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी० सं० 0.00 (मल्ला देवली) से किमी० सं० 2.00 तक मार्ग का सुधारीकरण, पुर्ननिर्माण व सूखी नदी पर कोंजवे का निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि कालूखेड़ा कक्ष सं० 1 में 1.30 कि०मी० के अन्तर्गत 0.91 है० वन भूमि का हस्तान्तरण

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्रस्ताव

वृक्षारोपण स्थल का नाम:-कालूखेड़ा कक्ष सं० 1 क्षेत्रफल 0.91 है० में रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या.....180 पौध

G.P.S:- N-29 ^o					
E-79 ^o					
क.सं.	कार्य का विवरण	मात्रा	दर	ईकाई	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	0.91	115.00	है०	104.65
2	क्षेत्र की सफाई एवं लेन्टाना युक्त झाड़ी कटान	0.91	10272.00	है०	9347.52
3	गड़ढो का समरेखण चूने की कीमत सहित	0.91	145.00	है०	131.95
4	गड़ढा खुदान (0.45x0.45x0.45)	0.91	6408.00	गड़ढे	5831.28
5	तारबाड़ (अ) तार की कीमत	0.91	8217.00	है०	7477.47
	पारिश्रमिक	0.91	1593.00	है०	1449.63
6	आर०सी०सी० पोल बनाना (0.10+0.08/2x0.10+0.08/2x2.00) mt (33 per pol 100 rm)	0.91	14573.00	है०	13261.43
	आर०सी०सी० खम्बों का ढुलान एवं सीपना सम्बन्धी समस्त कार्य	0.91	2984.00	है०	2715.44
7	पौध का मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.91	3617.00	है०	3291.47
8	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव प्रचार-प्रसार डाक्यूमेंटेशन कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण वाहनों का रख-रखाव आदि)	0.91	2282.00	है०	2076.62
9	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य	0.91	10000.00	है०	9100.00
	(0.45x0.45x0.45)	0.91	60206.00	है०	54787.46
योग प्रथम चरण					109574.92

द्वितीय वर्ष

1	गड़ढो का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरण	0.91	781.000	है०	710.71
2	पौधों का मूल्य 10 प्रतिशत अतिरिक्त पौध सहित	0.91	1514.00	है०	1377.74
3	पौध ढुलान कार्य	0.91	2376.000	पौध	2162.16
4	पौधों का रोपण स्थनीय ढुलान सहित	0.91	1780.00	पौध	1619.80
5	निराई गुड़ाई प्रथम	0.91	1400.00	पौध	1274.00
	द्वितीय	0.91	1050.00	है०	955.50
	तृतीय	0.91	6556.00	है०	5965.96
6	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई	0.91	2191.00	है०	1993.81
7	वन मोटर मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र के पहुच मार्ग व निरीक्षण बटिया बनाना/मार्ग रख-रखाव	0.91	639.00	है०	581.49
8	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए छप्पर	0.91	767.00	है०	697.97
9	पानी का प्रबन्ध	0.91	256.00	है०	232.96
10	संकेत पट	0.91	89.00	है०	80.99
11	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	0.91	225.00	है०	204.75
12	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक (8 माह)	0.91	8400.00	श्रमिक	67200.00
13	श्रमिकों के दवा आदि	0.91	61.00	है०	55.51

14	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख-रखाव प्रचार-प्रसार डायग्नोस्टिक कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण वाहनों का रख-रखाव आदि)	0.91	2283.00	₹0	2077.53
	प्रथम(0.45x0.45x0.45)	0.91	30368.00	₹0	27634.88
	द्वितीय (0.45x0.45x0.45)	0.91	90574.00	₹0	82422.34
				योग द्वितीय चरण	197248.10
तृतीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	निराई एवं गुड़ाई	0.91	1050.00	₹0	955.50
3	पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य (ईंधन के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होने पर आनुपातिक वृद्धि अनुमत्य होगी)	0.91	2191.00	₹0	1993.81
4	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	0.91	246.00	₹0	223.86
5	तारबाड़ मरम्मत	0.91	320.00	₹0	291.20
6	अन्य आकस्मिक व्यय	0.91	274.00	₹0	249.34
				योग तृतीय चरण	154913.71
चतुर्थ वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	निराई एवं गुड़ाई	0.91	1050.00	₹0	955.50
3	पट्टों की घास दबाने हेतु जुताई कार्य (ईंधन के वास्तविक मूल्य में वृद्धि होने पर आनुपातिक वृद्धि अनुमत्य होगी)	0.91	2191.00	₹0	1993.81
4	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	0.91	246.00	₹0	223.86
5	तारबाड़ मरम्मत	0.91	320.00	₹0	291.20
6	अन्य आकस्मिक व्यय	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग चतुर्थ चरण	154830.90
पंचम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	0.91	246.00	₹0	223.86
3	अन्य आकस्मिक व्यय	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग पंचम चरण	151590.39
छष्टम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छष्टम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग छष्टम चरण	151366.53
सप्तम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
	अन्य कार्य	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग सप्तम चरण	151366.53
अष्टम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग अष्टम चरण	151366.53
नवम् वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम् वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग नवम् चरण	151366.53
दसम् वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसम् वर्ष में अनुरक्षण कार्य	12.00	12600.00	माह	151200.00
2	अन्य कार्य	0.91	183.00	₹0	166.53
				योग दसम् चरण	151366.53
				क्षतिपूरक वृक्षारोपण की कुल लागत	1524990.67
				या	1524991.00

बनाधिकारी
हल्द्वानी वन विभाग, हल्द्वानी

भवदीय,
(समील शर्मा)
वन विभागाधिकारी,
छकता शिजी, हवलप्रो।